देश के लिए... अव्यवस्था के खिलाफ...

JAWAB DO SARKAR ™

www.jawabdosarkar.com

रेफरेंस संख्या –2021/mmp/154 E-Newsletter, Issued in Public Interest शुक्रवार, 3 सितम्बर 2021

जेडीए के पीआरएन नॉर्थ सेकंड ज़ोन मे स्थित भूखंड संख्या 1,नवल विहार पर बन रहा मोती संस जैसा भव्य शोरूम!!!

"जय श्री ज्वेलर्स"

ज़ोन के प्रवर्तन अधिकारी का तालेबानी फरमान आस-पड़ोस और कोलोनीवासियों की एनओसी लाओ और अवैध निर्माण करवाओ!!!

बिना खिड़की,रोशनदान के महज दो दरवाजे वाली तीन मंज़िला बिल्डिंग आखिर किस नजरिए से विद्वान प्रवर्तन अधिकारी महोदय को आवासीय नजर आ रही है?

*भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत प्रकाशन एवं समस्त प्रकाशन IT Act 2000 के तहत उत्तरदायी सर्वाधिकार@www.jawabdosarkar.com

क्या है जेडीए के पीआरएन नॉर्थ सेकंड ज़ोन मे स्थित भूखंड संख्या 1,नवल विहार मे बन रहे ज्वेलरी शोरूम “जय श्री ज्वेलर्स” का मामला?

आपने टोंक रोड पर नगर निगम मुख्यालय के सामने बने मोती संस के भव्य शोरूम को कई बार देखा होगा|रात मे लाइटों की जगमगाहट से इसकी भव्यता मे और चार चाँद लग जाते है|

अब ऐसा ही भव्य शोरूम जेडीए के पीआरएन नॉर्थ सेकंड ज़ोन मे स्थित भूखंड संख्या 1,नवल विहार पर भी बन रहा है लेकिन मोती संस के उस भव्य शोरूम और नवल विहार मे बन रहे इस शोरूम जय श्री ज्वेलर्स मे एक बड़ा फर्क यह है कि जहां मोती संस का शोरूम नगर निगम से अनुमति लेकर बनाया गया वहीं भूखंड संख्या 1,नवल विहार पर बन रहा यह शोरूम जय श्री ज्वेलर्स बिना जेडीए की अनुमति,बिना भू-उपयोग परिवर्तन करवाए,बिना नक्शे पास करवाए,बिना सेटबैक छोड़े जेडीए प्रवर्तन अधिकारियों की मिलीभगत से बनाया जा रहा है|

विगत 7 वर्षों से बिना जेडीए की अनुमति के आवासीय भूखंडसंख्या 1,नवल विहार पर चल रहा था दो मंज़िला अवैध जय श्री ज्वेलर्स का व्यवसायिक शोरूम,जिसे सुरक्षा की दृष्टि से पूरा तोड़ कर बिना सेटबैक छोड़े बनाया जा रहा तीन मंज़िला नया शोरूम

आपको बता दें कि विगत 7 वर्षों से बिना जेडीए की अनुमति के आवासीय भूखंडसंख्या 1,नवल विहार पर दो मंज़िला अवैध जय श्री ज्वेलर्स का शोरूम बना कर व्यवसायिक उपयोग किया जा रहा था,इस शोरूम मे विगत 7 सालों मे कई बार चोरी हो जाने से परेशान होकर शोरूम मालिक द्वारा सुरक्षा की दृष्टि से इसे पूरा तोड़ कर बिना सेटबैक छोड़े तीन मंज़िला नया शोरूम बनाया जा रहा है|लेकिन नया शोरूम बनाने मे भी जेडीए विनियमों का पालन नहीं किया जा रहा है|

पता:-S1,झारखंड अपार्टमेंट,सगत सिंह मोड,जनरल सगत सिंह मार्ग,खातीपुरा-302012 मोबाइल:-9828346151

भूखंड संख्या 1,नवल विहार पर पूर्व मे संचालित व्यवसायिक ज्वेलरी का शोरूम “जय श्री ज्वेलर्स”,जिसे तोड़कर इसे और भव्य रूप से बनाया जा रहा है,यह शोरूम विद्वान प्रवर्तन अधिकारी को किस लिहाज से आवासीय नजर आ रहा है इसका जवाब तो विद्वान प्रवर्तन अधिकारी ही बेहतर रूप से दे सकते है|

3	Jaipur Development Authority (J D A) , Enforcement Officer , (EO) , Enforcement Officer - PRN-North	, , ,	Remarks	16-Aug-2021	मौका देखा गया पुराने २ मंजिला मकान को तोड़कर आवासीय नया निर्माण उसी के अनुरूप किया है
4	Jaipur Development Authority (J D A) , Enforcement Officer , (EO) , Enforcement Officer - PRN-North	, , ,	Partially Special Closed	16-Aug-2021	मौका देखा गया पुराने २ मंजिला मकान को तोड़कर आवासीय नया निर्माण उसी के अनुरूप किया है
8	Jaipur Development Authority (J D A) , Enforcement Officer , (EO) , Enforcement Officer - PRN-North	, , ,	Remarks	24-Aug-2021	पुराना मकान को तोड़कर आवासीय निर्माण किया गया है आस पास और कॉलोनी वासियो को कोई आपत्ति नहीं है
9	Jaipur Development Authority (J D A) , Enforcement Officer , (EO) , Enforcement Officer - PRN-North	, , ,	Partially Closed :Relief	24-Aug-2021	पुराना मकान को तोड़कर आवासीय निर्माण किया गया है आस पास और कॉलोनी वासियो को कोई आपत्ति नहीं है

ज़ोन के प्रवर्तन अधिकारी द्वारा दिनांक 16/08/2021 को बताया गया कि "मौका देखा गया पुराने 2 मंज़िला मकान को तोड़कर आवासीय नया निर्माण उसी के अनुरूप किया है" वही दिनांक 24/08/2021 को बताया कि पुराना मकान तोड़कर आवासीय निर्माण किया गया है,आस पास और कॉलोनीवासियों को कोई आपत्ति नहीं है|

जेडीए के प्रवर्तन अधिकारी ने जारी की NOC,उनके अनुसार इस भूखंड पर आवासीय इकाई का हो रहा निर्माण,स्थानीय निवासियों को कोई आपत्ति नहीं|

हमारे द्वारा जब इस अवैध शोरूम के निर्माण की शिकायत जेडीए प्रवर्तन के जिम्मेदार अधिकारियों से की गयी तो जेडीए प्रवर्तन के अधिकारियों ने बड़े रोचक जवाब दिये,ज़ोन के प्रवर्तन अधिकारी द्वारा दिनांक 16/08/2021 को बताया गया कि **"मौका देखा गया पुराने 2 मंज़िला मकान को तोड़कर आवासीय नया निर्माण उसी के अनुरूप किया है"** वही दिनांक 24/08/2021 को बताया कि **"पुराना मकान तोड़कर आवासीय निर्माण किया गया है,आस पास और कॉलोनीवासियों को कोई आपत्ति नहीं है|"**

जवाब मांगते सवाल?

1. क्या जेडीए एक्ट मे इस बात का प्रावधान है कि किसी अवैध निर्माण के मामले मे आस-पड़ोस और कॉलोनीवासियों को कोई आपत्ति नहीं होने पर कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी?क्या आस-पड़ोस और कॉलोनीवासियों की एनओसी से कहीं भी, कैसे भी अवैध निर्माण करवाया जा सकता है?

2. क्या अब जेडीए के बदले सभी निर्माणकर्ताओं को स्थानीय कॉलोनीवासियों और आस-पड़ोस से निर्माण स्वीकृति लेनी चाहिए?

3. विद्वान प्रवर्तन अधिकारी द्वारा आखिर किस आधार पर यह सर्टिफिकेट जारी किया गया कि यहा पर पूर्व मे आवासीय निर्माण था?

4. कौन है यह बाहुबली ज्वेलर जिसकी खातिर जेडीए के जिम्मेदार प्रवर्तन अधिकारी यूडी टेक्स और भूखंड को आवसीय से व्यवसायिक मे परिवर्तन करवाने पर जेडीए को प्राप्त होने वाले राजस्व मे बाधा बन रहे है?